

लोहिया ग्रामीण आवास योजना

लोहिया ग्रामीण आवास योजना दिनांक 20 फरवरी 2013 को राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गयी। योजना का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण अनुजाति/जनजाति एवं सामान्य जाति(अन्य पिछड़ा वर्ग को सम्मिलित करते हुए) के ऐसे ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराया जाना है, जो 'आवासविहीन' हैं व 'जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु. 36000 से कम है' तथा '2002 में तैयार की गयी बीपीएल सूची में उनका नाम न होने के कारण वे इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत पात्रता श्रेणी में नहीं आते हैं।' यह योजना शतप्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

योजनान्तर्गत प्रत्येक आवास की अनुमानित लागत 3.05 लाख होगी जिसके सापेक्ष 2.75 लाख लाभार्थी को अनुदान दिया जायेगा तथा 0.30 लाख सोलर लाईट हेतु देय है। आवास के साथ स्वच्छ शौचालय निर्माण हेतु जिला स्तर पर पंचायती राज विभाग द्वारा डवटेल किया जायेगा।

जनपद में योजनान्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
1	2012-13	24
2	2013-14	13
3	2014-15	05
4	2015-16	81
5	2016-17	98